न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 104 / 2014
दायर दिनांक :– 16.06.2014

अनवान

1. श्रीमति लाडा बेवा बदरी मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
2. श्री धनराज पिता बदरी मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
3. श्री रामदयाल पिता बदरी मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर

वादीगण.........

बनाम

1. श्रीमति रामप्यारी पत्नि रामसिंह मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
2. श्री रामसिंह पिता रतनलाल मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
3. श्री प्रहलाद पिता रामसिंह मीणा ना.बा.ब्र. स. पिता रामसिंह मीणा नि. कुराडिया
4. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 92ए, 183, आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अखलाक खान, वकील वादीगण
2. श्री छीतर लाल रेगर, वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2

:: निर्णय :: दिनांक 08.01.2020

वादीगण का वाद पत्र के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम कुराडिया प0 ह0 कुराडिया तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1935 रकबा 0.05 बीघा भूमि खातेदारी से वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर वादीगण निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर हर साल लगान जमा कराता आ रहा है। उक्त भूमि के प्रतिवादीगण पड़ोसी है। जो जबरन वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है। जिन्होने माह मई 2014 में वादीगण की अधिकार अधिपत्य की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते हुये भूमि पर दखल करना प्रारम्भ कर दिया। प्रतिवादीगण वादीगण के अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि में दखल की नियत रखते है। जिन्होने वादीगण को बेदखल करने की धमकी दे रखी है। वादीगण शातिपूर्ण ढंग से काश्त कर जीवन यापन कर रहे है। इस कारण वादीगण की भूमि में किये गये शक्ति के बल कब्जा को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जाना आवश्यक है। साथ ही भविष्य में वादीगण की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे न ही अन्य से करावें इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। वादीगण उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण अनाधिक कब्जे की भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने की डिकी एवं वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि के प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की मांग की।

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की और से श्री छीतरलाल रेगर, एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2069 से 2072 की प्रति पेश की। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण बहस के दौरान बताया की वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर शक्ति के बल पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। मैने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादीगण के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2069–72 से होती है। वादीगण के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जो की वादीगण की भूमि है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादीगण कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिससे न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम कुराडिया प0 ह0 कुराडिया तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1935 रकबा 0.05 बीघा में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कब्जा से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण के प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलदाजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम —जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

1. श्रीमति लाडा बेवा बदरी मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
2. श्री धनराज पिता बदरी मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
3. श्री रामदयाल पिता बदरी मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर

वादीगण........

बनाम

1. श्रीमति रामप्यारी पत्नि रामसिंह मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
2. श्री रामसिंह पिता रतनलाल मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
3. श्री प्रहलाद पिता रामसिंह मीणा ना.बा.ब. स. पिता रामसिंह मीणा नि. कुराडिया
4. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत — 92ए, 183 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :— 104 / 2014

वह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अखलाक खान का मिनजानिब मुदई व श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम कुराडिया प0 ह0 कुराडिया तह0 जहाजपुर मे स्थित कृषि आ0 स0 1935 रकबा 0.05 बीघा में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कब्जा से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलंदाजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.01.2020

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 13:49:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: